उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-1/2022/19/एक-1-2022-5(40)/2011

लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2022

अधिसूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के वनग्राम का क्षेत्र, जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित था, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्रामों में सम्मिलित किया जायेगा और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्रामों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगाः

अनुसूची

क्र0सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहसील का नाम जिसमें स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम व स्तम्भ-5 में उल्लिखित राजस्व ग्राम स्थित है	वन ग्रामों का नाम जिनमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित भूमि स्थित है	राजस्व ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी
1	2	3	4	5
1	**30.911**	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	भवानीपुर	भवानीपुर
2	**12.756**	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	टेडिया	टेडिया
3	**11.979**	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	ढकिया	ढकिया
4	**1.327**	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	बिछिया	बिछिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजस्व ग्राम भवानीपुर में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी-

(1)	उत्तर	अवध फारेस्ट
(2)	दक्षिण	राजस्व ग्राम-बिछिया
(3)	पूरब	अवध फारेस्ट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

राजस्व ग्राम टेडिया में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी-

(1)	उत्तर	अवध फारेस्ट
(2)	दक्षिण	राजस्व ग्राम- ढकिया
(3)	पूरब	राजस्व ग्राम-कारीकोट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

राजस्व ग्राम ढकिया में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी-

(1)	उत्तर	राजस्व ग्राम -टेडिया
(2)	दक्षिण	राजस्व ग्राम-चहलवा
(3)	पूरब	राजस्व ग्राम-बाजपुर बनकटी/कारीकोट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

राजस्व ग्राम बिछिया में सम्मिलित क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित होगी-

(1)	उत्तर	राजस्व ग्राम भवानीपुर
(2)	दक्षिण	अवध फारेस्ट
(3)	पूरब	अवध फारेस्ट
(4)	पश्चिम	अवध फारेस्ट

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1/2022/19/One-1-2022-5(40)/2011, dated 08 January, 2022

Notification

No. 1/2022/19 /One-1-2022-5(40)/2011
Lucknow: Dated 08 January, 2022

In exercise of the powers under clause (20) of section 4 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Act no. 2 of 2007) the Governor is pleased to declare that with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the area of the forest village of Tehsil- Mihipurva(Motipur) of district Behraich, mentioned in column-2 of the Schedule below which was included in the forest village mentioned in column-4, shall now be excluded there from and included in the new revenue villages as mentioned in column-5 of the said Schedule and to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said forest villages:

Schedule

Sl. no.	Area (In Hectare)	Name of Tehsil in which the forest village mentioned in column 4 and revenue villages mentioned in column 5	Name of the forest villages in which the land mentioned in	Name of the revenue villages in which the land mentioned in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		situated	column-2 is situate	column-2 shall be included
1	2	3	4	5
1	30.911	Mihipurva(Motipur)	BHAWANIPUR	BHAWANIPUR
2	12.756	Mihipurva(Motipur)	TEDIA	TEDIA
3	11.979	Mihipurva(Motipur)	DHAKIA	DHAKIA
4	1.327	Mihipurva(Motipur)	BICHHIA	BICHHIA

1. Boundary of the area included in BHAWANIPUR revenue village shall be as below:-

(1) In North Awadh Forest

(2) In South Revenue village Bichhia

(3) In East Awadh Forest

(4) In West Awadh Forest

2. Boundary of the area included in TEDIA revenue village shall be as below:-

(1) In North Awadh Forest

(2) In South Revenue village Dhakia

(3) In East Revenue village karikot

(4) In West Awadh Forest

3. Boundary of the area included in Dhakia revenue village shall be as below:-

(1) In North Revenue village Tedia

(2) In South Revenue village Chahalwa

(3) In East Revenue village Bajpur bankati/karikot

(4) In West Awadh Forest

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. Boundary of the area included in Bichhia revenue village shall be as below:-

(1) In North Revenue village Bhawanipur

(2) In South Awadh Forest

(3) In East Awadh Forest

(4) In West Awadh Forest

Manoj Kumar Singh
Additional chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।